संख्याः 479 /87—अति0ऊ0स्रो0वि0 / 2023

प्रेषक,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2023

विषयः बायोडीजल के उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन की अनुमति/लाइसेंस आदि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति—2022 के तहत बायोडीजल के उत्पादन एवं भण्डारण हेतु अनुमति/लाइसेंस दिये जाने का कार्य, इसमें मिश्रण आदि के बारे में अन्य दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी कार्य या इससे जुड़े अन्य नियंत्रण सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27—03—2023 को खाद्य एवं रसद विभाग के साथ बैठक आयोजित की गयी थी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त बैठक में यह अपेक्षा की गयी थी कि अन्य प्रान्तों यथा—गुजरात, कनार्टक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि में इस प्रकरण को किस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2— निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के पत्र दिनांक 28—03—2023 द्वारा बायोडीजल (बी—100) की खुदरा बिक्री हेतु विभिन्न राज्यो यथा—मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ द्वारा निर्गत गाईड—लाइन/शासनादेशों की प्रतियॉ (छाया प्रतियॉ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार अधिकॉश राज्यों में यह कार्य खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग की पत्रावली संख्या—8(12)अति0ऊर्जा/2022 में दिनांक 31—03—2023 को पृष्ठ—34 पर आदेश दिये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी बायो डीजल को नियंत्रित करने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाये।

3– अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की पत्रावली संख्या–8(12) अति0ऊर्जा/2022 के पृष्ठ– 32 से 34 तक के उद्धरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये आदेश के कम में कृपया उत्तर प्रदेश राज्य में भी बायो डीजल के उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन की अनुमति/लाइसेंस आदि दिये जाने के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।